वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सा०/No. : 5-1(49)/2008-PD

Dated 01.02.2022

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदया/Madam / महोदय/Sir,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. Sl. No.	कार्यालय ज्ञापन सं/ . Office Memorandum No.	विषय/ Subject
1.	भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं० 57/04/2019-पी & पीडबल्यू(बी) दिनांक 04.01.2022 Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension and Pensioners' Welfare Office Memorandum No. 57/04/2019-P&PW(B) Dated 04.01.2022	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन ऐसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की कवरेज, जिनकी नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया को दिनांक 01.01.2004 से पूर्व अंतिम रूप दिया गया था, किन्तु जिन्होंने दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण किया था। Coverage under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 in place of National Pension System of those Central Government employees whose selection for appointment were finalized before 01.01.2004 but joined Government service on or after 01.01.2004

भवदीय/Yours faithfully,

01.02.2022

(उपेन्द्र उपाध्याय/ Upendra Upadhyay)
अनु.अधि.(नीति प्रभाग)/Section Officer (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/
Head, IT Division - with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.
2) कार्यालय प्रति/Office copy.

सं. 57 /04 / 2019-पी & पीडबल्यू(बी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
*****

तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक: 04.01.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन ऐसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की कवरेज, जिनकी नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया को दिनांक 01.01.2004 से पूर्व अंतिम रूप दिया गया था, किन्तु जिन्होंने दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण किया था।

अधोहस्ताक्षरी को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 17.02.2020 और 31.03.2021 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापनों का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके द्वारा ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिन्हें दिनांक 01.01.2004 से पूर्व होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 31.12.2003 को या उससे पूर्व घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किया गया था और दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया है, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया था। विकल्प का प्रयोग करने, नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अभ्यावेदन पर निर्णय लेने और संबंधित सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस खातों को बंद करने की प्रक्रिया में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित कट-ऑफ तारीखें हैं।

2. यह संज्ञान में आया है कि दिनांक 17.02.2020 और 31.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सरकारी कर्मचारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत करने के बावजूद, कुछ कार्यालयों ने इन कार्यों के लिए निर्धारित समयसारिणी के अनुसार इन विकल्पों पर निर्णय नहीं लिया है। मामलों के समयबद्ध निपटान और कर्मचारियों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए मामलों पर कार्रवाई करने के लिए मंत्रालयों / विभागों के लिए कट-ऑफ तारीखें विहित की गई थी। कर्मचारी द्वारा नियत समय के भीतर दिए गए विकल्प पर, कार्रवाई न करने के कारण के रूप में इन कट-ऑफ तारीखों को नहीं लिया जा सकता है।

3. अत: सभी मंत्रालयों / विभागों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय में सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिये गए विकल्प पर, इस विभाग के दिनांक 17.02.2020 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें और मामले में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक चूक होने की दशा में उत्तरदायित्व भी तय कर सकते हैं।

सिद्धेश्वर

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग।
2. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. सी & ए जी, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
4. सीजीए, व्यय विभाग, आईएनए, नई दिल्ली।
5. एनआईसी को इस विभाग के वेबसाइट पर डालने हेतु।

सं. 57/04/2019-P&PW(B)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक 04.01.2022

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

Subject: Coverage under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 in place of National Pension System of those Central Government employees whose selection for appointment were finalized before 01.01.2004 but joined Government service on or after 01.01.2004.

The undersigned is directed to refer to Department of Pension and Pensioners' Welfare's O.Ms. of even number dated 17.02.2020 and 31.03.2021 providing one-time option to Government servants for coverage under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 in place of National Pension System who were declared successful for recruitment in the results declared on or before 31.12.2003 against vacancies occurring before 01.01.2004 and are covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004. There are prescribed cut off dates for various activities involved in the process of exercising of option, deciding representations by appointing authorities and closure of NPS accounts of the concerned Government servants.

2. It has been come to the notice that despite submission of options in the prescribed time limit by Government servants in terms of OM dated 17.02.2020 and 31.03.2021, some offices may have not decided these options in stipulated time schedule of these activities. Cut-off dates for Min/Depts for processing of cases were prescribed to ensure time bound disposal of cases and faster resolution of grievances of employees. These cut-off dates may not be taken as a reason to not to process an option given by the employee within due time.

3. All Ministries / Departments are therefore, requested to take necessary action on the options exercised by Government servants in stipulated time, in accordance with this Department's OM dated 17.02.2020 and may also fix responsibility in case of any administrative lapse in the matter.

(S. Chakrabarti)
Under Secretary to the Government of India

To,

1. All Central Govt. Ministries / Departments.
2. Ministry of Railways, Railway Board, for information, New Delhi.
3. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi
4. CGA, Department of Expenditure, INA, New Delhi.
5. AD(OL) for Hindi version.
6. NIC for posting on the website of this Department.